रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD- NO- D- L--33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 318]	नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 13, 2014/ज्येष्ठ 23, 1936
No. 318]	NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 13, 2014/JYAISTHA 23, 1936

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जून, 2014

सा.का.नि. 402(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दूरसंचार आयोग भर्ती नियम (सदस्य), 2013 को, जहां तक इसका संबंध सदस्य)प्रौद्योगिकी(के पद से है, जो भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड)i) में अधिसूचना संख्याक सा.का.नि .695(अ), तारीख 10.10.2013 में प्रकाशित किए गए थे, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया है, सदस्य (प्रौद्योगिकी), दूरसंचार विभाग का दूरसंचार आयोग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दूरसंचार आयोग सदस्य(प्रौद्योगिकी) भर्ती नियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद **की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान**.—उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित मामले उपर्युक्त अनुसूचियों के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) तक विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृति.—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनबैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद है या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. सदस्य (प्रौद्योगिकी)	1* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क " राजपत्रित अननुसचिवीय	रु. 80000 (नियत)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा मे वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्प कालिक संविदा या आमेलन भी है)	**प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्प-कालिक संविदा भी है)/ आमेलन :** केंद्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/अर्ध-सरकारी/कानूनी निकायों/ पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त निकायों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के ऐसे अधिकारी:— (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) जिन्होंने उच्चतर वेतनमान

				एच)एजी(अर्थात् 67000-79000 रु. के वेतनमान या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् न्यूनतम दो वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं :- **आवश्यक अर्हताएं :** (I) किसी मान्यताप्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल या इलैक्ट्रोनिक्स और इलेक्ट्रिकल संचार या कंप्यूटर विज्ञान में इंजीनियरी में डिग्री या इंजीनियर संस्थान [एएमआईई] (इलेक्ट्रिकल) के सहयुक्त सदस्य या इलैक्ट्रोनिक्स और संचार संस्थान (आईईटीई) से स्नातक। (ii) सरकारी या औद्योगिक उद्यमों में दूरसंचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 20 वर्ष का कार्य करने का अनुभव जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का अभिदर्शन और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ विधि का ज्ञान (आईटीयू) भी सम्मिलित है। **वांछनीय अर्हताएं :-** I. किसी मान्यताप्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से वैद्युत या इलेक्ट्रोनिक्स और वैद्युत संचार इंजीनियरी या कंप्यूटर विज्ञान में मास्टर डिग्री। या II. किसी मान्यताप्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से प्रबंधन अध्ययन में मास्टर डिग्री, व्यापार प्रशासन एमबीए)) या लोक प्रशासन में मास्टर डिग्री **टिप्पण 1** : केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र सरकारों में कार्यरत अधिकारी ही आमेलन के लिए पात्र होंगे। **टिप्पण 2** : केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य काडर पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

				द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3** : आवेदन की अंतिम तारीख को 56 वर्ष की अधिकतम आयु की सामान्य पात्रता की शर्तें आमेलन के मामलों में लागू नही होंगी। ऐसे अधिकारी जिनकी रिक्ति होने की तारीख को न्यूनतम एक वर्ष की अवशिष्ट सेवा हो, आमेलन के पात्र होंगे । **टिप्पण 4 :** प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिनी किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
आमेलित किए जाने वाले व्यक्तियों की पुष्टि के लिए समूह "क" विभागीय पुष्टिकरण समिति :— 1. मंत्रिमंडल सचिव —अध्यक्ष 2. प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव —सदस्य 3. गृह सचिव —सदस्य 4. सचिव (कार्मिक), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग —सदस्य 5 सचिव, दूरसंचार विभाग —सदस्य.	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है। **टिप्पण** : आयोग को भर्ती की संपूर्ण प्रक्रियाओं में अन्तर्वलित किया जाएगा।

[फा. सं.1-1/2010-प्रशासन-I]

अनुराधा गणेश, अवर सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Telecommunications)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd June, 2014

G.S.R. 402(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, and in supersession of the Telecom Commission (Members) Recruitment Rules, 2013 so far as it relates to the post of Member (Technology), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3 , Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R.695(E), dated 10.10.2013 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Member (Technology), Telecom Commission of the Department of Telecommunications, Ministry of Communications and Information Technology, namely:-

1. **Short Title and Commencement.—**(1) These rules may be called the Telecom Commission Member (Technology), Recruitment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and scale of pay.—**The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in the columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualification etc.—**The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedules aforesaid.

4. **Disqualification.—**No person –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rules.

5. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Schedules Castes, the Schedules Tribes, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection or Non-selection post	Age Limit for Direct Recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MEMBER (Technology)	1* (2014) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services Group 'A' Gazetted Non-Ministerial	80000 (FIXED)	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualification required for Direct Recruits	Whether age and Educational Qualification prescribed for Direct Recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment Whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By deputation (Including short-term contract/Absorption)	**Deputation (including short-term contract)/absorption:** Officers of Central Government or State Governments or Government of Union Territories or Semi Government/Statutory Bodies/Public Sector Undertakings/Autonomous Bodies/Recognised Research Institutions. A) (I) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (II) minimum two year's of regular service in the Higher Administrative Grade (HAG) scale that is Rs. 67000-79000 or equivalent rendered after appointment thereto on regular basis; and (B) Possessing the following educational qualifications and experience:- **<u>Essential Qualifications</u>**: (I) Degree in Engineering in Electrical or Electronics and Electrical Communications or Computer Science from a recognised institution or university or Associates Member of the Institution of Engineers [AMIE (Electrical)] or Graduate from Institute of Electronics and Telecommunications (IETE). (II) Working experience of twenty years in the field of Telecommunications Technology in Government or industrial enterprises including exposure to and knowledge of International Telecommunications Union and the Law of International Telecommunications Union (ITU).

				<u>Desirable Qualifications</u>: I. Masters degree in Engineering in Electrical or Electronics and Electrical Communications or Computer Science from a recognised institution or university. or II. Masters degree in Management Studies, Master degree in Business Administration (MBA)/Public Administration from a recognized institution or university. **Note-1:** Officers working in Central or State or Union Territory Governments shall only be eligible for absorption. **Note-2:** Period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed five years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications) **Note-3:** The normal eligibility conditions of maximum age of fifty six years on the date of closing of receipt of application shall not be applicable in cases of absorption . The officers with minimum one year's residual service on the date of occurrence of vacancy shall only be eligible for appointment by absorption **Note-4**: For the purpose of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1.1.2006 (the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay or Pay Scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common Grade Pay or Pay Scale, and where this

				benefit will extend only for the post(s) for which that Grade Pay or Pay Scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'A' Departmental Confirmation Committee for confirmation of absorbees:— 1. Cabinet Secretary —Chairman 2. Principal Secretary to Prime Minister —Member 3. Home Secretary — Member 4. Secretary (Personnel), Department of Personnel and Training —Member 5. Secretary, Department of Telecom —Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary. **Note:—**The Commission shall be involved in the whole process of Recruitment

[F. No.1-1/2010-Admn.I]

ANURADHA GANESH, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.